उदय शंकर त्रियार

बनाम

राम कालेवर प्रसाद सिंह और अन्य

10 नवंबर, 2005

(रूमा पाल, डॉ ए. आर. लक्ष्मणन और आर. वी. रवींद्र, जे. जे)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश 41 नियम 1 और आदेश 6 नियम 14- वकालतनामा दाखिल करने में चुक या दोष इसका प्रभाव कहा गयाः अपील के साथ मुवक्किल द्वारा निष्पादित वकालतनामा दायर करने में सद्भाविक चुक, या अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के अधिकार में दोष, अपील को अमान्य नहीं बनाता है, इस तरह की चुक या दोष को प्रक्रियात्मक और उपचार योग्य होने के कारण बाद में ठीक किया जा सकता है और अन्याय को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए- आगे रजिस्ट्री/कार्यालय का कागजातों का सत्यापित का कर्तव्य रहता है और यदि वे विफल होते हैं, तो अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है- जब त्रुटि पर ध्यान दिया गया या इंगित किया जाता है, तो अदालत का मुवक्किल को इसे सुधारने की अनुमति देनी चाहिए।

आदेश 3 नियम 4 और आदेश 41 नियम 1-पक्षकारों द्वारा डिक्री के खिलाफ अपील केवल एक पक्षकार द्वारा वकील के पक्ष मं वकालतनामा का निष्पादन और पक्षकारों द्वारा नहीं अपील, यदि त्रुटिपुर्ण या अमान्य कहा गया: जब अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले वकील द्वारा निचली अदालत में पक्षकार का प्रतिनिधित्व किया गया है, तो निचली अदालत में वकील के मुवक्किल द्वारा पक्ष में निष्पादित वकालतनामा, अपील के लिए अलग वकालतनामा के बिना भी, वकील मुवक्किल कि ओर अपील प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्राधिकरण है-यह अपील को अमान्य नहीं करेगा।

विलेख और दस्तावेजः

वकालतनामा-इसका महत्व कहा गयाः वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रजाति है जो वादी कि ओर पेश होने वाले वकील को सक्षम और अधिकृत करती है कि वह कई कार्य करें जिसके जो वादी के लिए भी बाध्यकारी होगा। यह वकील और मुवक्किल के बीच विशेष संबंध बनाता है, इस तरह नियमित दोषों से बचने के लिए यह ठीक से भरा/सत्यापित/स्वीकार किया हुआ होना।

वकालतनामा-दाखिल करते समय पाए जाने वाली नियमित त्रुटियों पर चर्चा की गई।

जिला कांग्रेस समिति (डी. सी. सी.) के अध्यक्ष ए. एन. ने अपने व्यक्तिगत आवासीय व्यवसाय के लिए परीसर बाबत् वाद किया। अपीलकर्ता मकान मालिक ने ए. एन. और डी. सी. सी. के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया। निचली बदालत में अपीलार्थी के पक्ष में बेदखली का आदेश पारित किया। दोनों ए. एन. - अपीलार्थी सं. 1 और डी. सी. सी.- अपीलार्थी सं. 2 बेदखली की अपील दायर की। अपील के ज्ञापन में, डी. सी. सी. को इसके 'पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के रूप में दिखाया गया था। विचाराधीनता के दौरान, ए. एन. की मृत्यु हो गई लेकिन उनके कानूनी उत्तराधिकारी रिकॉर्ड पर नहीं आए। डी. सी. सी. के 'कार्यकारी अध्यक्ष होने का दावा करने वाले आर ने ए. एन. को हटाने और डी. सी. सी. के एकमात्र अपीलार्थी के रूप में दिखाने और डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में 'पुर्व अध्यक्ष के स्थान पर 'कार्यकारी अध्यक्ष शब्दों को प्रतिनिधित्व करने के लिए आदेवन दायर किया। अपीलीय न्यायालय ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपील के ज्ञापन के साथ वकालतनामा पर केवल ए. एन. द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और डी. सी. सी. की ओर से कोई वकालतनामा दायर नहीं किया गया था। और डी. सी. सी. ने आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपने 'कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए डी. सी. सी. को रिकॉर्ड पर आने और

अपीलीय अदालत के समक्ष अपील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपीलार्थी-मकान मालिक ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ध्यान देने में विफल रहा कि यद्यपि डी. सी. सी. को अपीलार्थी सं. 2 के रूप में अपील के ज्ञापन में, इसे इसके 'पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया था, और पूर्व अध्यक्ष डीसीसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था; और यह कि वकील के पक्ष का वकालतनामा ए. एन. द्वारा निष्पादित की गई थी और डी. सी. सी. द्वारा नहीं की गई थी और इस तरह की अपील, वास्तव में, केवल ए. एन. द्वारा की गई थी, जो उनके एल. आर. उनकी मृत्यु पर अभिलेख पर नहीं आने से उपशामिल हो गई थी।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 आवश्यकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. पी. सी. में यह अनिवार्य है कि किसी ज्ञापन पर अपीलार्थी या उसके वकील (अपीलार्थी द्वारा निष्पादित वकालतनामा द्वारा विधिवत अधिकृत) द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए जैसा कि आदेश 41 नियम 1 के तहत किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को त्रुटि को सुधारने का अवसर दिए बिना अपील की स्वतः अस्वीकृति होनी चाहिए। अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में कोई त्रुटि या अपील

के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के अधिकार में कोई त्रुटि, या याचिका दायर करने में चूक अपीलार्थी द्वारा निष्पादित वकालतनामा, अपील के साथ, अपील के ज्ञापन को अमान्य नहीं करेगा, यदि ऐसी चूक या त्रुटि जानबुझकर नहीं है और अपील ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना या अपील अदालत के समक्ष उसकी प्रस्तुति अपीलार्थी की जानकारी और अधिकार के साथ थी। ऐसी चूक या त्रुटि प्रक्रिया से संबंधित है, इसे बाद में ठीक किया जा सकता है। यह सत्यापित करना कार्यालय का कर्तव्य है कि क्या अपील के ज्ञापन पर अपीलार्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या उचित वकालतनामा रखने वाले वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यदि और जब त्रुटि को ध्यान में लाया गया या इंगित किया गया तब अदालत या तो प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर या स्वयं संज्ञान में प्रार्थी को इजाजत दे सकती है कि या तो त्रुटि को सुधारे या अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे या वकालतनामा पेश करें और यदि इस तरह की त्रुटि के कार्यालय द्वारा ध्यान में नहीं लाया गया या इंगित नहीं किया गया और अपील को स्वीकर कर लिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, इसे केवल इस तरह के त्रुटि के कारण अपील की सुनवाई में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। बिना अपीलार्थी को इसे सुधारने का अवसर दिये। [164-डी; 167-सी ई; 168-बी,]

1.2 यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह वकील के द्वारा पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित अपील का ज्ञापन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तब उसे अपील के ज्ञापन के साथ एक नया वकालतनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय में दायर वकालतनामा आदेश 3 सी. पी. सी. के नियम 4 (2) के संबंध में हस्ताक्षर करने और अपील के ज्ञापन को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्राधिकारी होगा, जिसे स्पष्टीकरण ख्सी, के साथ पढ़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में, निचली अदालत में उसे दिए गए अधिकार का उल्लेख करने वाला केवल एक ज्ञापन पर्याप्त हो सकता है। हालांकि, अपील के ज्ञापन के साथ एक नया वकालतनामा दायर करना हमेशा कार्यालय द्वारा अपील की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधाजनक होगा। [167-जी, एच; 168-ए,]

1.3 जब तक प्रासंगिक कानून या नियम ऐसा अनिवार्य नहीं करता है, तब तक अपील का निवेदन, अपील का ज्ञापन या राहत के लिए आवेदन या याचिका की प्रक्रियात्मक आवश्यकाता की गैर अनुपालना में स्वाचालित रूप से खारिज या अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्रक्रियात्मक त्रुटियों और अनियमितताओं, जिनका इलाज किया जा सकता है, को मुल अधिकारों को विफल करने या अन्याय का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्याय के लिए एक सहायक प्रक्रिया को

कभी-भी किसी भी दमनकारी या दंडात्मक उपयोग द्वारा न्याय को अस्वीकार करने या अन्याय को कायम रखने का एक उपकरण नहीं बनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों को रेखांकित किया गया है। [168-सी डी,]

शेख पलट बनाम सरवन साहू, (1920) 55 आईसी 271; बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भोरा कंकनी कॉलरीज लिमिटेड,(1984) सप. एस. सी. सी. 597; शास्त्री यज्ञपुरूषदासजी और अन्य बनाम मुलदास भुंडरदास वैश्य और अन्य। ए. आई. आर. (1966) एससी 1119 और कोडी लाल बनाम च. अहमद हसन, ए. आई. आर. (1945) औध 200, का उल्लेख किया गया है।

2.1 ए. एन. और डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष ए. एन. ने किया जहां वकील बी और उसके सहयोगियों द्वारा बेदखली मुकदमें में प्रतिवादियों का अदालत में प्रतिनिधित्व किया गया था। बेदखली मुकदमे के खिलाफ अपील के ज्ञापन के शीर्षक से पता चलता है कि दो अपीलार्थी थे- ए. एन. और डी. सी. सी. प्रतिस्थापन के लिए आवेदन से यह स्पष्ट है कि डी. सी. सी. को अपील दायर करने के बारे में पता था। अपील के ज्ञापन पर बी के सहयोगी द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे। इसके साथ बी और उनके सहयोगियों के पक्ष में ए. एन. द्वारा निष्पादित वकालतनामा भी था। अपील ज्ञापन की जांच पर कार्यालय की रिपोर्ट में डी. सी. सी. द्वारा किसी

भी वकालतनामें की अनुपस्थिति में संबंधित किसी भी दोष का उल्लेख नहीं किया गया था। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों के वकील और जिला न्यायालय कार्यालय इस आधार पर आगे बढ़े कि ए. एन. स्वयं और डीसीसी अपने पूर्व अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था। केवल जब ए. एन. की मृत्यु हो गई, डी. सी. सी. के कार्यकारी अध्यक्ष ने अपीलार्थी नं. 1- ए. एन. और अपीलार्थी सं. 2 के विवरण में संशोधन के लिए डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में 'पूर्व अध्यक्ष के लिए 'कार्यकारी अध्यक्ष शब्दों के प्रतिस्थापन पर अनुचित प्रस्तुति का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई गई थी। [168-जी-एच; 169-ए-सी,]

2.2 जब ए. एन. का अध्यक्ष नहीं रहे, तो यह सच है कि सामान्य रूप से बेशक, वे डी. सी. सी. के पूर्व अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। लेकिन ए. एन. के लिए अपने पूर्व अध्यक्ष के रूप में डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व करना संभव था, अगर डी. सी. द्वारा एक प्रस्ताव होता जिसमें उन्हें अपील में इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया हो। यह संभव है कि एक नए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ए. एन. ने इस धारणा पर कार्य करना जारी रखता कि वह डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व करने का हकदार था। चुंकि ए. एन. के जीवनकाल के दौरान कोई आपति नहीं उठाई गई थी, इसलिए उनका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने अपील में डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व इसके 'पूर्व

अध्यक्ष के रूप में क्यों किया। न तो अपीलीय न्यायालय के कार्यालय और न ही मकान मालिक ने इस मुद्दे को उठाया है और ए. एन. द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा को अपीलकर्ताओं द्वारा वैध रूप से निषपादित अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राप्त और निहित रूप से स्वीकार किया गया है, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पर मकान मालिक की आपति को अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था। सभी स्थितियों में, यदि प्रतिनिधित्व दोषपुर्ण या अस्तित्वहीन पाया गया था, तो अपीलीय न्यायालय को दोष को सुधारने के लिए डी. सी. सी. को एक अवसर देना चाहिए था।[169-डी एफ,]

2.3 बेदखली आदेश के खिलाफ डी. सी. सी. द्वारा अपील वैध रूप से दायर की गई थी। निचली अदालत में डी. सी. सी. का प्रतिनिधित्व बी और उनके सहयोगियों ने किया था। उसी वकील ने अपील दायर की। निचली अदालत ने उक्त वकील के पक्ष में डी. सी. सी. द्वारा दिया गया वकालतनामा उक्त वकील को स्पष्टीकरण ख्सी, के साथ पठित आदेश 3 नियम 4 (2) सी. पी. सी. के संबंध में अपील दायर करने के लिए पर्याप्त प्राधिकरण था, यहां तक कि अपील के लिए एक अलग वकालतनामा के बिना भी। [169-जी-एच,]

3. वकालतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रजाति है यह महत्वपुर्ण दस्तावेज है। जो एक पक्ष के लिए उपस्थित होने वाले वकील को

समक्ष और अधिकृत करता है। वकील एक अभिकर्ता के रूप में कई कार्य करता है, जो वादी के लिए बाध्यकारी होते है, प्रधार कौन है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो वकील व पक्षकार के बीच विशेष संबंध बनाता है। यह प्लीडर को अधिकार का प्रत्यायोजन और नियम और शर्तों को सीमांकित, नियंत्रित करता है। इसलिए इसे ठीक से भरा/सत्यापित किया जाना चाहिए। सावधानी और सावधानी के साथ स्वीकार किया गया। वादी के हस्ताक्षर पर्याप्त करना। खाली वकालतनामा और बाद में उन्हें भरने से बचना चाहिए। चूंकि रजिस्ट्रियां/कार्यालय न्यायालयों में दायर वकालतनामा का सत्यापन नहीं करते है। जिस देखभाल और सावधानी के वे हकदार हैं, नियमित दोष होते हैं जिनका न्यायिक नोटिस लिया जाता है। इस तरह की विफलता कई बार बाद के चरणों में टालने योग्य जटिलताओं की ओर ले जाती है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि दाखिल किए गए वकालतनामा की ठीक से जांच और सत्यापन के लिए रजिस्ट्ररियां/कार्यालयों का उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। [170-ए-सी; 171-ई,]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 6701/2005

पटना उच्च न्यायालय के विविध अपील सं. 300/2002 के निर्णय और आदेश दिनांक 28.07.2003 से।

सुनील कुमार, ए. पी. सहाय, सुश्री अनीता कानूनगो और श्रीमति सरला चंद्र अपीलार्थी के लिए।

उतरदाताओं के लिए के. वी. मोहन।

न्यायालय का निर्णय आर. वी. रवींद्रन, जे. द्वारा दिया गया था।

अनुमति मंजूर।

1. इजाजत स्वीकृत। मकान मालिक की यह अपील (मुंसिफ, प्रथम, समस्तीपुर, बिहार की फाइल पर 1989 के बेदखली वाद संख्या 2 में वादी) एमए संख्या 300/2002 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.2003 के खिलाफ है।

2. अपीलकर्ता-वादी ने अनुगृह नारायण सिंह और जिला कांग्रेस कमेटी (I), समस्तीपुर (जिन्हें क्रमशः 'ए.एन. सिंह' और 'डीसीसी' कहा जाता है) के खिलाफ निम्नलिखित तीन आधारों पर उक्त बेदखली का मुकदमा दायर किया: (I) कि सूट परिसर (घर) को ए.एन. सिंह को उनके निजी आवासीय कब्जे के लिए किराए पर दिया गया था और उक्त ए.एन. सिंह ने अनधिकृत रूप से सूट परिसर के एक हिस्से को डीसीसी को उप-किराए पर दे दिया थाय (ii) वह ए.एन. सिंह ने किराया और बिजली शुल्क का भुगतान करने में चूक की थी; और (iii) कि मुकदमा परिसर उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवश्यक था।

3. प्रतिवादियों ने मुकदमे का विरोध किया। उन्होंने इस आरोप से इनकार किया कि सूट परिसर को व्यक्तिगत रूप से ए.एन.सिंह को उनके आवास के लिए किराए पर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह परिसर ए.एन. सिंह को किराये पर दिया गया था। डीसीसी के अध्यक्ष के रूप में डीसीसी के कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए 200 रुपये; बिजली शुल्क सहित के मासिक किराए पर लिया गया था और किराए का भुगतान करने में कोई चूक नहीं हुई थी। उन्होंने मकान मालिक के इस दावे का भी खंडन किया कि सूट परिसर उसके अपने उपयोग के लिए आवश्यक था।

4. ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 6.6.1998 के फैसले और डिक्री द्वारा बेदखली और किराए और बिजली शुल्क के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया। यह माना गया कि ए.एन. सिंह ने परिसर को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किराये पर लिया था, डीसीसी की ओर से नहींय और मकान मालिक की सहमति के बिना सूट परिसर का एक हिस्सा डीसीसी को उप-किराए पर दे दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि ए.एन. सिंह ने किराए और बिजली शुल्क का भुगतान करने में चूक की थी।

5. व्यथित महसूस करते हुए, ए.एन. सिंह और डीसीसी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, समस्तीपुर (अपीलीय अदालत) के रूप में संदर्भितद्ध की

फाइल पर 1998 की बेदखली अपील संख्या 4 दायर की। अपील के ज्ञापन में दूसरे अपीलकर्ता डीसीसी को उसके पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए एक आवेदन पर, अपीलीय न्यायालय ने बेदखली पर रोक लगा दी। अपील के लंबित रहने के दौरान 23.82000 को प्रथम अपीलकर्ता (ए.एन.सिंह) की मृत्यु हो गई। उनके कानूनी उत्तराधिकारी रिकॉर्ड पर नहीं आए। हालाँकि डीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष होने का दावा करने वाले एक राम कलेवर प्रसाद सिंह ने पहले अपीलकर्ता को हटाने और डीसीसी को एकमात्र अपीलकर्ता के रूप में दिखाने और पूर्व अध्यक्ष के स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष शब्द रखने के लिए एक आवेदन दायर किया। डीसीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में। प्रतिस्थापन हेतु उक्त आवेदन का मकान मालिक द्वारा विरोध किया गया।

6. प्रतिस्थापन के लिए उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 27.4.2002 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने पाया कि भले ही (ए.एन.सिंह) और डीसीसी को क्रमशः अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अपील के ज्ञापन के साथ वकालतनामा पर केवल ए.एन.सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सिंह और डीसीसी की ओर से कोई वकालतनामा दाखिल नहीं

किया गया था। इसलिए, उन्होंने निम्नलिखित तर्क पर राम कलेवर प्रसाद सिंह के प्रतिस्थापन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया :-

> 'अपीलकर्ता नंबर 1 की मृत्यु 23.8.2000 को हो गई और उसका कानूनी उत्तराधिकारी प्रतिस्थापन के लिए नहीं आया है और इस तरह अपीलकर्ता नंबर 1 के खिलाफ अपील समाप्त हो गई हैय और जिला कांग्रेस कमेटी (I) समस्तीपुर और वर्तमान की ओर से कोई अपील दायर नहीं की गई थी अपीलकर्ता क्रमांक 2 की ओर से की गई अपील कानून की नजर में अमान्य है और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार पूरी अपील खारिज की जाती है।'

अपीलीय अदालत के उक्त आदेश को राम कलेवर प्रसाद सिंह एवं डीसीसी ने विविध में चुनौती दी थी, अपील संख्या 300/2002 पटना उच्च न्यायालय के एक विद्वान सिंह न्यायाधीश ने दिनांक 28.07.2003 के आदेश द्वारा उक्त अपील को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि बेदखली डिक्री के खिलाफ अपील ए.एन. द्वारा दायर की गई थी। सिंह और डीसीसी जो एक अलग न्यायिक व्यक्ति थे (मकान मालिक द्वारा वादपत्र में तदनुसार वर्णित); जबकि यह सच है कि एक पूर्व अध्यक्ष अपील में डीसीसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था और डीसीसी ने वकालतनामा नहीं दिया था, न तो मकान मालिक (उक्त अपील में

प्रतिवादी) और न ही कार्यालय ने ऐसी कोई आपत्ति उठाई थी; और चूंकि न्यायिक व्यक्ति (डीसीसी) पहले से ही रिकॉर्ड पर था, ऐसे न्यायिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के हकदार व्यक्ति को रिकॉर्ड पर आने की अनुमति दी जानी चाहिए, और इस प्रकार अनुचित प्रतिनिधित्व से संबंधित दोष को सुधारना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपने 'कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए डीसीसी को रिकॉर्ड पर आने और अपीलीय अदालत के समक्ष अपील को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपील में निर्णय लेने के लिए डीसीसी का प्रतिनिधित्व करने के कार्यकारी अध्यक्ष के अधिकार से संबंधित प्रश्न को खुला रखा।

7. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा है कि दो कारणों से कानून की नजर में जिला न्यायालय के समक्ष डीसीसी द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी। सबसे पहले हालांकि अपील के ज्ञापन में डीसीसी को दूसरे अपीलकर्ता के रूप में रखा गया था लेकिन इसे इसके पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया था और एक पूर्व अध्यक्ष डीसीसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। दूसरे वकील के पक्ष में वकालतनामा केवल ए. एन सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था। और डीसीसी द्वारा नहीं यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए अपील वास्तव में केवल ए. एन सिंह द्वारा की गई थी। और उनके एलआरएस के रूप में उनकी मृत्यु पर रिकॉर्ड

पर नहीं आयाए अपील रद्द कर दी गई। शेख पलाट बनाम सरवन साहू (1920)55 आईसी 271, में पटना उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि एक वकील द्वारा वकालतनामा के आकार में बिना किसी अधिकार के अपील के ज्ञापन की प्रस्तुति वैध प्रस्तुति नहीं है।

8. दूसरी ओर प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटिनहीं है। उन्होंने बताया कि डीसीसी को बेदखली मुकदमे में दूसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया थाय डीसीसी का प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष ए.एन.सिंह ने किया था। सूट में और जब तक बेदखली डिक्री के खिलाफ अपील दायर की गईए तब तक ए.एन.सिंह इसके अध्यक्ष नहीं रह गए थेए लेकिन चूंकि उन्होंने मुकदमे में डीसीसी का प्रतिनिधित्व किया था अपील ए.एन.सिंह द्वारा दायर की गई थी। अपनी ओर से और डीसीसी की ओर से इसके पूर्व अध्यक्ष के रूप में। दलील दी गई है कि वकालतनामा में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि ए.एन.सिंह न केवल पहले अपीलकर्ता के रूप मेंए बल्कि दूसरे अपीलकर्ता डीसीसी की ओर से भी वकालतनामा निष्पादित कर रहे थे यह लापरवाही के कारण था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपील में डीसीसी का प्रतिनिधित्व एक पूर्व अध्यक्ष द्वारा किया जाना भी एक इलाज योग्य दोष था। यह तर्क दिया गया है कि यदि मकान मालिक या कार्यालय ने उक्त

दोषध्चूक की ओर इशारा किया होता तो इसे तुरंत ठीक कर दिया गया होता और इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापन के लिए दायर आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी।

9. इसलिए हमारे विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं;(i) क्या बेदखली डिक्री के खिलाफ डीसीसी द्वारा की गई अपील दोषपूर्ण या अमान्य थी और (ii)क्या ऐसे दोष को सुधारने की अनुमति दी जा सकती है।

10. आदेश 41 नियम 1 सीपीसी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अपील को अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुति किया जाए और अदालत या ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए जिसे वह उस संबंध में नियुक्त करता है। आदेश 3 नियम 4 सीपीसी वकीलों की नियुक्ति से संबंधित है। उसका प्रासांगिक भाग नीचे निकाला गया है

> ''4. वकील की नियुक्ति (1)कोई भी वकील किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके मान्यता प्राप्त एजेंट या किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज़ द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया हो ऐसी नियुक्ति करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा या उसके तहत विधिवत अधिकृत व्यक्ति।

(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति न्यायालय में दायर की जाएगी और उप.नियम (1) के प्रयोजनों के लिएए तब तक लागू मानी जाएगी जब तक कि ग्राहक या वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक लेख द्वारा न्यायालय की अनुमति से निर्धारित नहीं किया जाता हैए जैसा भी मामला होए और न्यायालय में दायर किया जाएगा या जब तक ग्राहक या वकील की मृत्यु नहीं हो जातीए या जब तक कि मुवक्किल के संबंध में मुकदमे की सभी कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।

स्पष्टीकरण इस उप.नियम के प्रयोजन के लिएए निम्नलिखित को मुकदमे में कार्यवाही माना जाएगा

(ए) एक्स एक्स एक्स

(बी) एक्स एक्स एक्स

(सी) मुकदमे में किसी डिक्री या आदेश से अपील''

11. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भौरा कांकानी कोलियरीज लिमिटेड [1984] सप्ल एससीसी 597, इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जहां अपील ज्ञापन के साथ वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था। चूंकि अवसर दिए जाने के बावजूद दोष दूर नहीं किया गया

इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील और बहाली के आवेदन को भी खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए इस प्रकार कहा

> "6. निस्संदेहए कुछ लापरवाही हुई है लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण मामले को प्रक्रियात्मक निर्देशों का पालन करने में विफलता के आधार पर खारिज कर दिया जाता हैए तो हमेशा लापरवाही का कुछ तत्व होता है इसमें शामिल है क्योंकि एक सतर्क वादी प्रक्रियात्मक निर्देश का पालन करने से नहीं चूकेगा यहां तक कि वकालतनामा दाखिल करने जैसे सरल निर्देश का भी। सवाल यह है कि क्या लापरवाही की डिग्री इतनी अधिक है कि न्याय मांगने वाले एक वादी को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। दूसरे में शब्दों में क्या न्याय प्रदान करने के लिए तथ्यों की जांच को कुछ प्रक्रियात्मक खामियों के कारण हमेशा के लिए विफल कर दिया जाना चाहिए?
>
> 7. यह एक पल के लिए भी सुझाव नहीं दिया गया है कि कोई पक्ष एक निर्दिष्ट समय के भीतर अपील की सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए न्यायालय के अनिवार्य आदेशों की अनदेखी कर सकता है। लेकिन यह कहने के बाद यह भी

ध्यान में रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया न्याय करने के लिए बनाई गई थीए न कि उसे विफल करने के लिए। ऐसी स्थिति में सिविल अदालतें लागत के कुछ आदेश द्वारा दूसरे पक्ष को होने वाले उत्पीड़न असुविधा या क्षति की मरम्मत के पक्ष में झुक गई हैं। लेकिन यह विचार करना कि वकालतनामा दाखिल करने के आदेश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप काफी अच्छी राशि वाली अपील खारिज हो जाएगीए ऐसी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को न्याय के मार्ग में बाधा डालने के लिए इतनी ऊंची जगह पर रखना है। हमें इस प्रस्ताव का पक्षकार बनना कठिन लगता है। इसलिए हम हस्तक्षेप करने को इच्छुक हैं।"

12. शास्त्री यज्ञपुरुषदासजी एवं अन्य बनाम मूलदास भुन्दरदास वैश्य और अन्य में एआईआर (1966) एससी 1119, इस न्यायालय ने एक मामले पर विचार किया जहां वकालतनामा 'एक्स' के पक्ष में था, लेकिन अपील का ज्ञापन था 'वाई' द्वारा हस्ताक्षरित और दायर किया गया। इस न्यायालय ने यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय था अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 'एक्स' को अनुमति देना उचित है इस प्रकार पाई गई अनियमितता को दूर करें; इस प्रकार कहा

"तकनीकी रूप से यह माना जा सकता है कि श्री दौंडकर द्वारा प्रस्तुत अपील के ज्ञापन को नुकसान हुआ है इस दुर्बलता से कि प्रतिवादी नंबर 1 ने सरकारी वकील के पक्ष में अपने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे और श्री दौंडकर इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे हालांकि वह सरकारी वकील के कार्यालय में सहायक सरकारी वकील के रूप में काम कर रहे थे। फिर भी उक्त ज्ञापन था उच्च न्यायालय के अपीलीय पक्ष के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गयाए क्योंकि रजिस्ट्री ने अपील की प्रस्तुति को उचित मानाय अपील उचित समय पर स्वीकार की गई और अंततः उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई। विफलता उक्त अपील की प्रस्तुति में की गई अनियमितता की ओर सहायक सरकारी वकील का ध्यान आकर्षित करने के लिए रजिस्ट्री को अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद की वैधता से निपटने में अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। यदि रजिस्ट्री ने अपील को अनियमित रूप से प्रस्तुत मानकर दौंडकर को वापस कर दिया होताए तो अनियमितता को तुरंत ठीक किया जा सकता था और सरकारी वकील ने अपील के ज्ञापन और वकालतनामा दोनों पर हस्ताक्षर किए होते। यह न्याय का प्राथमिक नियम है कि अदालत या

उसके कार्यालय की गलती के लिए किसी भी पक्ष को कष्ट नहीं उठाना चाहिए।"

13. हम कोडी लाल बनाम चौ. अहमद हसन, एआईआर 1945 अवध 200, के फैसले का भी उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं। जहां कानूनी स्थिति इस प्रकार बताई गई थी

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि शासकीय नियम यह है कि वकील को उसके मुवक्किल द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाना चाहिए ताकि वह अपील पर हस्ताक्षर कर सके या अपनी ओर से इसे प्रस्तुत कर सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है डाउन प्लीडर पर वैध शक्ति के बिना कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिद्वंद्वी को कोई लाभ नहीं देता है सिवाय शायद इस परिकल्पना के कि वकील के कार्य कानून में कार्य करने के बराबर नहीं हैं। जहां परिस्थितियां हालांकि यह प्रकट करती हैं कि चूक अपील की प्रस्तुति के समय एक शक्ति दाखिल करना आकस्मिक था वादी पर यह आग्रह करके कि उसकी अपील विफल होनी चाहिएए चूक के लिए जुर्माना देना असमान होगा। ओ 3 के आर 4 का उप.नियम 1 किसी न्यायालय को धारा 151, सिविल पी.सी के तहत किसी

वकील के कार्य को पूर्वव्यापी वैधता देने से नहीं रोकता है जो बाद में वकालतनामा दाखिल करता है। आमतौर पर एक शक्ति या तो पूर्व में या अभिनय के साथ-साथ दायर की जानी चाहिए लेकिन जब तक ऐसा आदेश न दिया जाए या कानून के किसी सिद्धांत का उल्लंघन न किया जाए या अन्याय होने की संभावना न हो, अभ्यास के किसी वैधानिक नियम को आम तौर पर हमले के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निम्नलिखित कथन (1884) 26 अध्याय में बोवेन एल. जे का डी.700 को यहां लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है

"न्यायालयों का उद्देश्य पार्टियों के अधिकारों का निर्णय करना है न कि अपने मामलों के संचालन में उनके द्वारा की गई गलतियों के लिए उन्हें दंडित करना उनके अधिकारों के अनुरूप निर्णय लेने के बजाय न्यायालयों का अस्तित्व अनुशासन के लिए नहीं है। बल्कि विवादग्रस्त मामलों का निर्णय करने के लिए।"

इसलिए यदि किसी वास्तविक गलती के परिणामस्वरूप नियम का अनजाने में तकनीकी उल्लंघन हुआ है और बाद

में गलती को सुधार लिया गया है तो जरूरी नहीं कि दोष घातक हो।"

14. जहां तक अपीलकर्ता मकान मालिक द्वारा शेख पलात (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा करने की बात है हम पाते हैं कि उक्त निर्णय अपीलकर्ता के लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि निर्णय स्वयं स्पष्ट करता है कि फाइल करना आवश्यक नहीं हो सकता है अपील की याचिका के साथ एक वकालतनामा लेकिन यह निश्चित रूप से आवश्यक है कि अपील की प्रस्तुति के समय अपीलकर्ता या उसके वकील के हस्ताक्षर वाला एक वकालतनामा मौजूद होना चाहिए।

15. इस प्रकार यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में कोई दोष या अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के अधिकार में कोई दोष या अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित वकालतनामा दाखिल करने में चूक अपील अपील के ज्ञापन को अमान्य नहीं करेगाए यदि ऐसी चूक या दोष जानबूझकर नहीं किया गया है और अपील ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना या अपीलीय अदालत के समक्ष उसकी प्रस्तुति अपीलकर्ता के ज्ञान और अधिकार के साथ थी। ऐसी चूक या दोष प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण इसे बाद में ठीक किया जा सकता है। यह सत्यापित करना कार्यालय का कर्तव्य है कि क्या अपील के ज्ञापन पर अपीलकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट या उचित वकालतनामा रखने वाले

वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यदि कार्यालय ऐसे दोष को इंगित नहीं करता है और अपील स्वीकार कर ली जाती है और आगे बढ़ जाती है तो अपील की सुनवाई में इसे केवल ऐसे दोष के कारण खारिज नहीं किया जा सकता हैए अपीलकर्ता को इसे सुधारने का अवसर दिए बिना। आवश्यकता यह है कि अपील पर अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित वकालतनामे द्वारा विधिवत अधिकृत इसमें कोई संदेह नहीं हैए अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गैर अनुपालन के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को दोष सुधारने का अवसर दिए बिना अपील स्वतरू खारिज हो जानी चाहिए। यदि और जब दोष देखा जाता है या इंगित किया जाता है तो अदालत को या तो अपीलकर्ता के आवेदन पर या स्वतरू संज्ञान लेते हुए अपीलकर्ता को अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके या वकालतनामा प्रस्तुत करके दोष को सुधारने की अनुमति देनी चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला वकील ट्रायल कोर्ट में पक्षकार के लिए उपस्थित हुआ है तो उसे अपील के ज्ञापन के साथ एक नया वकालतनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैए क्योंकि उसके पक्ष में वकालतनामा दायर किया गया है। ट्रायल कोर्ट आदेश 3 सीपीसी के नियम 4(2) के संबंध में अपील के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्राधिकारी होगाए जिसे स्पष्टीकरण [सी] के साथ पढ़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट में उसे दिए गए अधिकार का जिक्र

करने वाला एक ज्ञापन ही पर्याप्त हो सकता है। हालाँकि कार्यालय द्वारा अपील के प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपील के ज्ञापन के साथ एक नया वकालतनामा दाखिल करना हमेशा सुविधाजनक होगा।

16. आदेश 6 नियम 14 सीपीसी में एक समान प्रावधान पाया जाना चाहिए जिसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक दलील पर पार्टी और उसके वकीलए यदि कोई होए द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। यहां फिर से यह हमेशा माना गया है कि यदि किसी वास्तविक त्रुटि के कारण वादी या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा किसी वादपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं तो दोष को निर्णय से पहले किसी भी समय ट्रायल कोर्ट द्वारा ठीक करने की अनुमति दी जा सकती है या यहां तक कि अपीलीय अदालत द्वारा भी सुनवाई के दौरान ऐसा दोष सामने आने पर उचित संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

17. किसी दलील अपील के ज्ञापन या आवेदन या राहत के लिए याचिका से संबंधित किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन न करने पर स्वतरू बर्खास्तगी या अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए जब तक कि प्रासांगिक क़ानून या नियम ऐसा आदेश न दे। प्रक्रियात्मक दोष और अनियमितताएं जिनका इलाज संभव है उन्हें मूल अधिकारों को नष्ट करने या अन्याय का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रक्रिया जो न्याय की सहायक है को कभी भी किसी दमनकारी या दंडात्मक उपयोग

द्वारा न्याय से इनकार करने या अन्याय को कायम रखने का उपकरण नहीं बनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के सर्वमान्य अपवाद हैं

(i) जहां क़ानून प्रक्रिया निर्धारित करता है, वहीं विशेष रूप से गैर अनुपालन के परिणाम भी निर्धारित करता है।

(ii) जहां प्रक्रियात्मक दोष बताए जाने और उसे सुधारने का उचित अवसर दिए जाने के बाद भी उसे ठीक नहीं किया जाता है।

(iii) जहां गैर अनुपालन या उल्लंघन जानबूझकर या शरारती साबित होता है।

(iv) जहां दोष का सुधार मामले को गुण-दोष के आधार पर प्रभावित करेगा या अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करेगा।

(v) अपील के ज्ञापन के मामले में, अधिकार का पूर्ण अभाव है और अपील अपीलकर्ता की जानकारी सहमति और अधिकार के बिना प्रस्तुत की जाती है।

18. अब हम उपरोक्त सिद्धांतों के संदर्भ में इस मामले के तथ्यों की जांच करेंगे। ए. एन. सिंह और डीसीसी; इसके अध्यक्ष ए एन सिंह द्वारा बेदखली मुकदमे में प्रतिवादी थे और ट्रायल कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील श्री बिंदेश्वर प्रसाद सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। बेदखली मुकदमे के खिलाफ अपील के ज्ञापन के कारण.शीर्षक से पता

चलता है कि दो अपीलकर्ता थे ए एन सिंह और डीसीसी प्रतिस्थापन के लिए बाद के आवेदन से यह स्पष्ट है कि डीसीसी को अपील दायर करने की जानकारी थी। अपील के ज्ञापन पर श्री बिंदेश्वर प्रसाद सिंह के सहयोगी श्री उमेश चंद्र कुमारए अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इसके साथ ए एन सिंह द्वारा निष्पादित वकालतनामा ने श्री बिंदेश्वर प्रसाद सिंह और श्री उमेश चंद्र कुमार सहित उनके सहयोगियों के पक्ष में। अपील के ज्ञापन की जांच पर कार्यालय रिपोर्ट में डीसीसी द्वारा किसी वकालतनामा की अनुपस्थिति से संबंधित किसी भी दोष का उल्लेख नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं के वकील और जिला न्यायालय कार्यालय इस आधार पर आगे बढ़े कि ए एन सिंह पूर्व अध्यक्ष के रूप में अपना और डीसीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केवल जब ए एन सिंह की मृत्यु हो गई और डीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ने अपीलकर्ता संख्या 1 ए एन सिंह को हटाने और 'पूर्व अध्यक्ष' के स्थान पर 'कार्यकारी अध्यक्ष' शब्द को व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करके अपीलकर्ता संख्या 2 के विवरण में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। डीसीसी का प्रतिनिधित्व करते हुएए अनुचित प्रस्तुति का आरोप लगाते हुए एक आपत्ति उठाई गई थी। इन परिस्थितियों मेंए अपीलीय अदालत को डीसीसी की ओर से दायर संशोधन और प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन स्वीकार करना चाहिए था।

19. एक और पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है जब ए एन सिंह अध्यक्ष नहीं रहे यह सच है कि सामान्य स्थिति में वह पूर्व अध्यक्ष के रूप में डीसीसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। लेकिन ए एन के लिए यह संभव था। यदि डीसीसी द्वारा कोई प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उन्हें अपील में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया होए तो सिंह को इसके पूर्व अध्यक्ष के रूप में डीसीसी का प्रतिनिधित्व करना होगा। यह भी संभव है कि नये अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ए एन सिंह ने इस धारणा पर कार्य करना जारी रखा कि वह डीसीसी का प्रतिनिधित्व करने के हकदार थे। चूंकि ए एन के जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। सिंह के मामले में उनका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने अपील में डीसीसी के 'पूर्व अध्यक्ष' के रूप में प्रतिनिधित्व करना क्यों चुना। न तो अपीलीय अदालत के कार्यालयए न ही मकान मालिक प्रतिवादी ने इस मुद्दे को उठाया और ए एन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा द्वारा अपीलीय अदालत द्वारा प्राप्त और निहित रूप से स्वीकार किए जाने के बाद इसे अपीलकर्ताओं द्वारा वैध रूप से निष्पादित किया गयाए प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पर मकान मालिक की आपत्ति को अपीलीय अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था। सभी घटनाओं मेंए यदि प्रतिनिधित्व दोषपूर्ण या अस्तित्वहीन पाया गयाए तो अपीलीय अदालत को दूसरे अपीलकर्ता डीसीसी को दोष को सुधारने का अवसर देना चाहिए था।

20. यह मानने का एक और कारण है कि बेदखली डिक्री के खिलाफ डीसीसी द्वारा अपील वैध रूप से दायर की गई थी। ट्रायल कोर्ट में डीसीसी का प्रतिनिधित्व श्री बिंदेश्वर प्रसाद सिंह और उनके सहयोगियों ने किया था। उसी वकील ने अपील दायर की। ट्रायल कोर्ट में उक्त वकील के पक्ष में डीसीसी द्वारा दिया गया वकालतनामा उक्त वकील के लिए आदेश 3 नियम 4(2) सीपीसी को स्पष्टीकरण [सी] के साथ पढ़ने के संबंध में अपील दायर करने के लिए पर्याप्त प्राधिकरण था यहां तक कि एक अलग वकालतनामा के बिना भी।

21. हम इस समय विषयांतर कर सकते हैं और उस तरीके के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं जिस तरह से दोषपूर्ण वकालतनामा नियमित रूप से अदालतों में दायर किए जाते हैं। वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रजाति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक वादी के लिए उपस्थित होने वाले वकील को एक एजेंट के रूप में कई कार्य करने में सक्षम और अधिकृत करता है जो वादी जो कि प्रिंसिपल है के लिए बाध्यकारी हैं। यह एक दस्तावेज़ है जो वकील और मुवक्किल के बीच विशेष संबंध बनाता है। यह वकील को प्राधिकार के प्रत्यायोजन की सीमा और ऐसे प्रत्यायोजन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को नियंत्रित और नियंत्रित करता है। इसलिए इसे सावधानी और सावधानी के साथ उचित रूप से भरा सत्यापित स्वीकार किया जाना चाहिए। खाली

वकालतनामों पर वादी के हस्ताक्षर लेने और बाद में उन्हें भरने से बचना चाहिए। हम अदालतों में दायर वकालतनामों में नियमित रूप से पाए जाने वाले निम्नलिखित दोषों पर न्यायिक नोटिस ले सकते हैं।

(ए) वकालतनामा निष्पादित करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करने में विफलता और संबंधित कॉलम को खाली छोड़ना।

(बी) अनुदानकर्ता की ओर से वकालतनामा निष्पादित करने वाले व्यक्ति के नामए पदनाम या प्राधिकार का खुलासा करने में विफलता; जहां वकालतनामा किसी कंपनीए सोसायटी या निकाय की ओर से हस्ताक्षरित है या तो मुहर लगाकर या नाम का उल्लेख करके और निष्पादक के हस्ताक्षर के नीचे पदनाम; और वकालतनामा के साथ ऐसे प्राधिकार की एक प्रति संलग्न करने में विफलता।

(सी) जिस वकील के पक्ष में वकालतनामा निष्पादित किया गया है, उसकी स्वीकृति के प्रतिक के रूप में उस पर हस्ताक्षर करने में विफलता।

(डी) वकालतनामा निष्पादित करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में विफलता या यह प्रमाणित करने में विफलता कि वकील वकालतनामा के उचित निष्पादन के बारे में संतुष्ट है।

(ई) तामिल के उद्देश्य से वकील के पते का उल्लेख करने में विफलता; विशेषकर बाहरी वकील के मामलों में।

(एफ) जहां वकालतनामा किसी के द्वारा स्वयं के लिए और किसी और की ओर से निष्पादित किया जाता है, इस तथ्य का उल्लेख करने में विफलता कि इसे इस प्रकार निष्पादित किया जा रहा है। उदाहरण के लिएए जब एक पिता और नाबालिग बच्चे पक्षकार होते हैं, तो वकालतनामा में बिना किसी समर्थन/कथन के हमेशा केवल पिता के ही हस्ताक्षर होते हैं कि हस्ताक्षर स्वयं और उसके नाबालिग बच्चों के अभिभावक के रूप में हैं। इसी प्रकार जहां एक फर्म और उसके भागीदार या एक कंपनी और उसके निदेशक या एक ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी या एक संगठन और उसके पदाधिकारी एक वकालतनामा निष्पादित करते हैं वहां हमेशा केवल एक ही हस्ताक्षर होगा यहां तक कि हस्ताक्षर के समर्थन के बिना भी। वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के

साथ.साथ कॉर्पोरेट निकाय/फर्म/सोसाइटी/संगठन की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के रूप में भी है।

(जी) जहां वकालतनामा किसी पार्टी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा निष्पादित किया जाता है यह खुलासा करने में विफलता कि इसे अटॉर्नी धारक द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति संलग्न करने में विफलताय

(एच) जहां कई व्यक्ति एक ही वकालतनामे पर हस्ताक्षर करते हैंए वहां कोष्ठक में उनके क्रम संख्या या नाम का उल्लेख किए बिनाए हस्ताक्षर क्रमबद्ध करने में विफलता होती है। कई बार यह जानना संभव नहीं होता कि वकालतनामे पर किसने हस्ताक्षर किए हैं जहां हस्ताक्षर अस्पष्ट अक्षरों में लिखे होते हैं।

(आई) एक ग्राहक द्वारा नियुक्त वकील बदले में उसी मामले में उपस्थित होने या अपील या पुनरीक्षण दायर करने के लिए अन्य वकीलों के पक्ष में वकालतनामा निष्पादित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में मुफस्सिल वकीलों के लिए वकालतनामा पर वादी के हस्ताक्षर प्राप्त करना और उच्च न्यायालय की सीट पर आना, और उच्च न्यायालय में उपस्थिति के लिए

एक वकील को नियुक्त करना और ऐसे वकील के पक्ष में वकालतनामा निष्पादित करना।

हमने उपरोक्त नियमित दोषों का उल्लेख किया है, क्योंकि रजिस्ट्री/कार्यालय वकालतनामों को उस देखभाल और सावधानी के साथ सत्यापित नहीं करते हैं जिसके वे हकदार हैं। ऐसी विफलता कई बार बाद के चरणों में टालने योग्य जटिलताओं का कारण बनती हैए जैसा कि वर्तमान मामले में है। दाखिल किए गए वकालतनामों की ठीक से जांच और सत्यापन करने के लिए रजिस्ट्रियों/कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता है।

22. पुनः हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी को रद्द करना और मामले को गुण दोष के आधार पर तय करने के निर्देश के साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की फाइल में पहली अपील को बहाल करना उचित था। इसलिए हम इस अपील को खारिज करते हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर कही गई किसी भी बात को गुण-दोष के आधार पर किसी भी दृष्टिकोण या राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

एन.जे. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिम्म्तराज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अग्रेंजी संस्करण ही मान्य होगा।